

>

Title: Regarding Need to regulate the programmes telecast by web channels in the country-laid.

श्री मनोज कोटक (मुंबई उत्तर- पूर्व): आजकल वेब चैनल्स काफी तेजी से प्रचलित हो रहे हैं जो वेब सीरीज के जरिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तरह-तरह के कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं। इन चैनल्स के द्वारा ऑनलाइन चलाए जाने वाले कार्यक्रम लोगों में खासकर युवा वर्ग में नशे की लत की तरह से फैलता जा रहा है। नेटफ्लिक्स, एमाजॉन प्राइम, हुलु, टुबी, फेसबुक वॉच आदि ऐसे कई वेब चैनल हैं जो बिना किसी सेंसरशिप के भारत सहित अन्य कई देशों में भी ऑनलाइन प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो इन वेब चैनल पर लागू हो सके और इन्हें नियंत्रित कर सके। इसका फायदा उठाकर यह वेब चैनल धड़ल्ले से अश्लील और असभ्य कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं जो भारत में कानूनन अपराध है और भारतीय संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। भारतीय संस्कृति में इस तरह के कार्यक्रमों को एक उम्र के बाद दिखाए जाने की अनुमति है। सरकार ने अन्य मनोरंजन के साधनों जैसे टीवी, फिल्म आदि के लिए कानून बनाए हैं और ऐसे अश्लील और असभ्य कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया है या फिर वयस्कों के देखने का प्रमाण पत्र दिया है। फिर इन वेब चैनल्स के लिए उपयुक्त कानून क्यों नहीं बनाया है। मेरी मंत्री महोदय से मांग है कि इन वेब चैनल्स के लिए उपयुक्त कानून क्यों नहीं बनाया है। मेरी मंत्री महोदय से मांग है कि वेब चैनल्स के लिए उपयुक्त कानून बनाए साथ ही हमारी संस्कृति के प्रतिकूल कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले चैनल्स पर भी तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए।

